

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]


भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना
सं. 23 /2021- सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 2021

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-
सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मै से ओलम एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, DLF बिल्डिंग नंबर 8, टावर A, 2 फ्लोर, फेस-II, साइबर सिटी, गुरुग्राम-122002	कारण बताओ नोटिस दिनांक 23.12.2020 C.No. VIII(NCH)/Cus-Audit/PBA/B1/APR-28/2019/2317 के तहत	(i) आयुक्त, सीमाशुल्क NS-V, कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, ताल-उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र	आयुक्त, सीमाशुल्क NS-V, कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, ताल- उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र
		(ii) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, विशाखापटनम, पोर्ट एरिया, विशाखापटनम	
		(iii) आयुक्त, सीमाशुल्क, कोचीन, कस्टम हाउस, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचीन	
		(iv) आयुक्त, सीमाशुल्क, कोचीन, कस्टम हाउस, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचीन	
		(v) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), विजयवाड़ा, 55-17-3, सी-14, II फ्लोर, रोड नंबर 2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, ऑटो नगर, विजयवाड़ा	
		(vi) आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई II कमिशनरेट, कस्टम हाउस नंबर 60, राजाजी सलाई, चेन्नई	
		(vii) आयुक्त, सीमाशुल्क, चेन्नई II कमिशनरेट, कस्टम हाउस नंबर 60, राजाजी सलाई, चेन्नई	
		(viii) आयुक्त, सीमाशुल्क, बेंगलुरु, सीआर बिल्डिंग, कुईन रोड, PB नंबर 5400, बेंगलुरु	

[फा° सं 437/1/2021- सीमाशुल्क IV]


(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)